न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 99/05 (वाद)
GCMS No. : 2005/00002

अनवान

1. श्री अम्बालाल पिता फकीरचन्द्र धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

1/1 श्री निलेश पिता अम्बालाल धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

1/2 श्रीमती कैलाशी पत्नी प्रभुलाल धोबी निवासी सनवाड तहसील मावली।

1/3 श्रीमती उमाबाई पत्नी मुकेश कुमार धोबी निवासी म.न.ए40 सत्यम हॉस्पीटल के सामने रेल्वे मेडिकल कॉलोनी रेल्वे हॉस्पीटल जोधपुर।

1/4 श्रीमती शान्ताबाई बेवा अम्बालाल धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री कालु पिता प्यारा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
2. श्री बालु पिता नाथु धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
3. श्री लालु पिता नाथु धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
4. श्री मोती पिता नाथु धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
5. श्री शम्भु पिता रोडा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
6. श्री घनश्याम पिता रोडा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
7. श्रीमती मांगीबाई बेवा रोडा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
8. श्रीमती गीता पुत्री रोडा पत्नी राजु धोबी निवासी दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा।
9. श्रीमती भग्गी पत्नी रतन धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
10. श्री रमेश पिता हीरा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
11. श्रीमती बगदी पत्नी भंवरलाल धोबी निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा।
12. श्रीमती बदामी पत्नी हिरा धोबी निवासी मोही तहसील राजसमन्द।
13. श्रीमती गीता पत्नी रमेश धोबी निवासी राजनगर नया बस स्टेण्ड के पास बाडी।
14. श्रीमती अणछी पुत्री हिरा धोबी निवासी सराडा तहसील सराडा।
15. श्रीमती बसन्ती पत्नी माणक धोबी निवासी राणावास तहसील मारवाड जं. पाली।
16. श्री राजेन्द्र पिता मोहनलाल धोबी निवासी सराडा तहसील सराडा।
17. श्री देवेन्द्र पिता मोहनलाल धोबी निवासी सराडा तहसील सराडा।
18. श्रीमती लीला बेवा मोहनलाल धोबी निवासी सराडा तहसील सराडा।
19. श्रीमती सीमा पुत्री मोहनलाल धोबी निवासी राणावास तहसील मारवाड जं. पाली।
20. श्रीमती रीना पत्नी लालु धोबी निवासी राणावास तहसील मारवाड जं. पाली।
21. श्री ईश्वरलाल पिता गणपत धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:52 IST
Reason: SelfAttested

22. श्रीमती इन्दिरा पत्नी बद्रीलाल धोबी निवासी राजनगर नया बस स्टेण्ड के पास बाडी।
23. श्रीमती वरदी बेवा गणपत धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
24. श्री भेरूलाल पिता मांगीया धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
25. श्रीमती लछमी पत्नी उदयलाल धोबी निवासी बानसेन तहसील भदेसर।
26. श्री रतनलाल पिता हिरा धोबी निवासी हिण्डोली तहसील कपासन।
27. श्रीमती लादू पत्नी कैलाश धोबी निवासी सनवाड तहसील मावली।
28. श्रीमती देऊ पुत्री हिरा धोबी निवासी हिण्डोली तहसील कपासन।
29. श्रीमती लीला पुत्री हिरा धोबी निवासी हिण्डोली तहसील कपासन।
30. श्री अनिल पिता रमेश धोबी बविलायत पिता रमेशचन्द्र पिता हीरा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
31. श्री हरीश दत्तक पिता चुन्नीलाल धोबी निवासी सिक्का बी.सी.सी. सीमेन्ट फैक्ट्री के पास धुलाई की दुकान जिला जामनगर, गुजरात।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री दिनेश पालीवाल, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री ललित वसीटा, अधिवक्ता 10, 30
3. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 31

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 26.03.2025

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा इण्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर में खतौनी संख्या 114 की आराजी नम्बर 2629 रकबा 16 सोलह बिस्वा कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान खतौनी में श्री कालू पिता प्यारा, बालू, लालू, मोती, पिता नाथू धोबी के 1/3 हिस्सा बराबर, श्री रोडा पिता गंगाराम, रमेश पिता श्री हिरा, मुझ केशी बेवा हिरा, मोहनलाल, ईश्वरलाल, श्रीमति इन्दिरा पिता गणपत, श्रीमति वरदी बेवा गणपत धोबी 1/9 हि. ब. श्री भेरूलाल पिता मांगीया, श्रीमति नाथी बेवा मांगीया 1/9 हि.ब. श्रीमति मांगी बेवा चुन्नीलाल 1/3 धोबी साकिन देह खातेदार हक से अंकित है। इन खातेदारो में से श्री रोडा पिता गंगाराम, श्रीमती केशी बेवा हिरा जी धोबी, श्री मोहनलाल पिता श्री गणपत, श्रीमती नाथी बेवा और श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:52 IST
Reason: SelfAttested

धोबी का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 5 शम्भु, 6 घनश्याम, 7 श्रीमती मांगीबाई, 8 श्रीमती गीता, 9 श्रीमती भग्गी, स्वर्गीय रोडा खातेदार के विधिक प्रतिनिधिगण है। स्वर्गीय खातेदार श्रीमती केशी बेवा हिरा के विधिक प्रतिनिधिगण प्रतिवादी संख्या 10 श्री रमेश, 11 श्रीमती बगदी, 12 श्रीमति बदामी, 13 श्रीमती गीता, 14 श्रीमती अण्छी, और 15 श्रीमती बसन्ती है। स्वर्गीय मोहनलाल खातेदार के विधिक प्रतिनिधिगण प्रतिवादी संख्या 16 श्री राजेन्द्र, 17 श्री देवेन्द्र, 18 श्रीमती लीला, 19 श्रीमती सीमा, 20 श्रीमती रीना है। खातेदार स्व० श्रीमती नाथी बेवा मांगीया के विधिक प्रतिनिधिगण संख्या 24 श्री भेरूलाल, 25 श्रीमती लछमी, 26 श्री रतनलाल, 27– श्रीमती लादू, 28 श्रीमती देऊ और 29 श्रीमती लीला है। प्रतिवादी संख्या 30 श्री अनिल, प्रतिवादी संख्या 10 रमेशचन्द्र पिता हिरा का अवयस्क पुत्र है और प्रतिवादी संख्या 31 स्व. खातेदार श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल का दत्तक पुत्र है। खातेदार श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल का देहावसान तारीख 23/3/2004 को हो गया है। वादी अम्बालाल श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल का सगा छोटा भाई है। श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल धोबी ने तारीख 24–2–2004 को ग्राम ईण्टाली से वल्लभनगर तहसील कार्यालय परिसर में जाकर वहाँ दस्तावेज लेखक से वादी के पक्ष में स्टाम्प पेपर पर एक वसीयत पत्र इस आशय का निष्पादित कराया कि उसके पास कृषि भूमि मौजा ईण्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर में है और ईण्टाली मे रहने का मकान है जो उसके जिन्दा रहते उसके स्वयं के स्वामित्व में रहेंगे और उसके मरने के पश्चात इसकी समस्त चल अचल सम्पत्ति उसके भाई श्री अम्बालाल पिता फकीरचंद धोबी वादी के हो जावेगे। इस वसीयत पत्र पर उसने अपने ही गाँव इण्टाली के दो व्यक्तियों की साखे दिलवायी और पब्लिक नोटेरी से इस वसीयत पत्र की तस्दीक भी करवायी। स्वर्गीय मांगी बेवा श्री चुन्नीलाल धोबी की यह अंतिम वसीयत पत्र है। जिस वजह से वादी मौजा इण्टाली की आराजी नम्बर 2629 रकबा 16 बिस्वा का 1/3 हक का खातेदार काश्तकार हो गया है।

2. यह कि प्रतिवादी संख्या 10 श्री रमेश ने स्वर्गीय मांगी बेवा चुन्नीलाल जी धोबी को उसके जीवनकाल में यह आश्वासन दिया कि वह और उसका पुत्र श्री अनिल प्रतिवादी संख्या 30 उसके बु[illegible] भरण पोषण करेगा और तारीख

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:52 IST
Reason: SelfAttested

15–1–2004 को इसी आश्वासन से प्रतिवादी श्री अनिल के पक्ष में एक वसीयत पत्र श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल से लिखवा दिया परन्तु वसीयत पत्र लिखवा देने के पश्चात् प्रतिवादी श्री अनिल और उसके पिता श्री रमेश दोनो ने स्वर्गीय मांगी बेवा चुन्नीलाल से झगड़ा कर लिया और सेवा चाकरी, भरण पौषण करने से इन्कार कर दिया। इस पर श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल धोबी खातेदार ने अपने वकील श्री विनोद कुमार जी ओस्तवाल निवासी वल्लभनगर से इन्हें सूचना पत्र दिनांक 20–2–2004 का दिलवाया, जिसमें प्रतिवादी अनिल के पक्ष में लिखे दस्तावेज को भी निरस्त कर देने की सूचना दी। यह सूचना पत्र श्री रमेश पिता हिरा जी धोबी प्रतिवादी सं. 10 की पत्नी होकर रमेश के ही परिवार की सदस्य थी और श्री अनिल प्रतिवादी भी अपने पिता श्री रमेश धोबी के ही परिवार का सदस्य था यह सूचना पत्र श्री रमेश पिता हिरा जी धोबी की पत्नी श्रीमती मांगीबाई ने डाक से प्राप्त किया है। यही नहीं इसके पश्चात् तारीख 24–2–2004 को श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल धोबी ने स्वस्थ्य मन बुद्धि से, स्वेच्छा से वादी के पक्ष में अपना नया और अंतिम वसीयत पत्र निष्पादित कर दिया है। जिस वजह से अनिल प्रतिवादी संख्या 30, के पक्ष में लिखा वसीयत पत्र दिनांक 15–1–2004 खारीज हो चुका है परन्तु फिर भी प्रतिवादीगण श्री अनिल और उसके पिता रमेश दोनो स्वर्गीय मांगी बेवा चुन्नीलाल धोबी की भूमि के खातेदार हो जाने का गलत कथन करते है। जिस वजह से यह घोषणा का वाद करना पड़ रहा है।

3. यह कि प्रतिवादीगण संख्या 23, 24 श्रीमती वरदी बेवा गणपत धोबी एवम् श्री भेरूलाल पिता मांगीया धोबी दोनो वादगत भूमि पर बिना वजह काबिज हो जाने की फिराक में है और वादी के पक्ष में निष्पादित वसीयत पत्र को नहीं मान रहे है। इसलिए भी यह घोषणा का वाद करना आवश्यक हो गया है। श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल धोबी लगभग गत 19–20 वर्षों से विधवा है, वह विधवा होने के पश्चात् अपने भाई वादी के ही साथ में रह रही थी। वह वादी की ही मदद से अपनी कृषि भूमि की बुवाई कटाई वगैरा कृषि कार्य करती थी जिस वजह से श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल स्वर्गीय खातेदार की यह कृषि भूमि वादी के ही कब्जे में उसके मरने के पश्चात् चली आ रही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:52 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाना आवश्यक है कि वे वादगत भूमि पर वादी के कब्जे काश्त में कोई रूकावट नहीं करे, न अन्य से करावे। वादी को शान्तिपूर्वक अपने हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य करने देवे, उसे बेदखल नहीं करें, न अन्य से करावे। अन्यथा प्रतिवादीगण वादी को इस भूमि से बेदखल कर देंगे। जिससे वादी को अतुलनीय क्षति एवम् अशोधनीय क्षति होगी। जिस क्षति को रूपयो में आंकना असंभव होगा। वादी अनेक मुकदमे में पड कर बर्बाद हो जावेगा। वाद हेतु तारीख 23–3–2004 को पैदा हुआ जिस दिन श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल खातेदार का देहान्त हुआ।
5. अन्त में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में निम्न आशय की घोषणा एवम् निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान करायी जावे कि मौजा ईण्टाली की आराजी नम्बर 2629 रकबा 16 बिस्वा का वादी को 1/3 हक से खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रदान करायी जावे कि वे मौजा इण्टाली की आराजी नम्बर 2629 रकबा 16 बिस्वा पर वादी को अपने तीसरे हिस्से पर कृषि कार्य करने में कोई रुकावट पैदा नहीं करे, न अन्य से ही ऐसा कार्य करावे। वादी को इस भूमि से बेदखल नहीं करे।
6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 व 30 द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 31 को चुन्नीलाल का दत्तक पुत्र बताया है वह गलत है। मांगीबाई ने कोई वसीयत दिनांक 24–2–2004 को नहीं लिखी सारा कथन गलत व बैबुनियाद है। मांगीबाई की जायदाद का वारिस वादी नहीं है। वसीयत फर्जी होकर गलत है। मांगीबाई अस्वस्थ्य बीमार होकर लकवे में थी न तो वह बौल सकती थी व न ही वह चल फिर सकती थी इसलिए वसीयत लिखने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। मांगीबाई ने श्री अनिल के पक्ष में 15–1–2004 को वसीयत नामा लिखा और मांगीबाई की सेवा चाकरी अनिल नाबालिग था उस समय वह स्वंय एवम् उसका पिता रमेश व उसके परिवार वाले सेवा चाकरी करते थे और मरने तक सेवा चाकरी करते रहे वादी द्वारा यह कथन गलत किया है कि प्रतिवादी रमेश ने कोई सेवा चाकरी नहीं की भरण पोषण, दवाई का सारा खर्चा व ईलाज का सारा खर्चा प्रतिवादी संख्या 10 व 30 ने ही किया। वसी[illegible]ल करने का कोई नोटिस विनोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:52 IST
Reason: SelfAttested

कुमार जी द्वारा नहीं दिया गया। नोटिस पर हस्ताक्षर अम्बालाल स्वयं वादी के है उस पर न तो विनोद ओस्तवाल के हस्ताक्षर है, क्योंकि मांगीबाई बीमार थी और न वह चल फिर सकती थी नोटिस अम्बालाल ने ही दिलाया व अम्बालाल ने ही दस्तखत किए। वो वसीयत खारीज नहीं होकर आज भी प्रभावी है और वादी चुन्नीलाल जिस वसीयत का जिक्र करता है वह वसीयत इस वसीयत के मुकाबले शुन्य है। जहाँ तक मांगीबाई द्वारा वसीयत करना वादी कथन कर रहा है। वसीयत फर्जी है और फर्जी वसीयत को मानने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है क्यों कि मांगीबाई बीमार और अस्वस्थ व लकवे से पीडित थी उसकी शरीर की सारी क्रियाएँ बन्द थी केवल मामुली धडकन ही थी इसलिए वसीयत लिखने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। मांगीबाई का विधवा होना स्वीकार है किन्तु उसकी सेवा चाकरी वादी नहीं करता था न ही वादी के पास ही रहती थी वादी इन्टाली मे नहीं रह कर बाहर काम करता था और कृषि भूमि की कटाई बुवाई सारा रमेश ही करता था। आज भी रमेश ही उक्त जमीन पर काश्त कर रहा है व उसी के कब्जे में है। वादी ने यह सारा कथन गलत अंकन किया है। वादी हम प्रतिवादीगण संख्या 10 व 30 के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जमीन पर कब्जा अनिल पिता रमेश, व रमेश व उसके परिवार का चला आ रहा है उसी के कब्जे काश्त मे है। वादी फर्जी वसीयत के आधार पर कब्जा करना चाहता है। जो नहीं कर सकता है। वादी किसी भी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी, प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की बिनाय वाद दिनांक 23—3—04 को पैदा नहीं हुई है। सारा कथन गलत अंकित किया है। इस्तदुआ वादी गलत हैं। वादी किसी प्रकार की रिलीफ पाने का अधिकारी नहीं हैं। वादी का वाद बेबुनियाद होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

7. **विशेष कथन एवं काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया** कि वाद पत्र मे वर्णित आराजीयात मे मृतक मांगीबाई की सम्पति पर वसीयत पत्र दिनांक 15—1—2004 के आधार पर प्रतिवादी श्री अनिल जिस समय नाबालिग था, और परिवार उसका उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त भूमि पर वादी किसी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकता है। उक्त भूमि मांगीबाई के खाते है वह भूमि प्रतिवादी संख्या 30 के नाम पर खातेदारी की घोषणा [illegible] का अधिकारी है। वादी ने दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:52 IST
Reason: SelfAttested

24–2–2004 को जिस वसीयत का जिक्र किया है जिस आधार पर यह वाद लेकर आया है वह वसीयत पत्र फर्जी है। उसके आधार पर किसी प्रकार की रिलीफ पाने का अधिकारी नहीं है। वादी जानबुझ कर जब मांगीबाई बीमार हुई और मृत्यु से दस दिन पूर्व ही अपने घर पर ले गया व यह कह कर ले गया कि मैं इसको ईलाज के लिए अहमदाबाद ले जा रहा हूँ, मांगीबाई को कोई सूज बुझ नहीं थी व पक्षाघात से पिडित थी। उस पर विश्वास कर वादी के साथ वादी के घर मांगीबाई को ले गया और उस आड मे अपना फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपना अधिकार जता रहा है वह गलत है। वादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वह मांगीबाई की जायदाद जो प्रतिवादी सं. 30 के कब्जे मे है उसमे हस्तक्षेप नहीं करे। वाद कारण दिनांक 2–7–2005 को पैदा हुआ। जो निरन्तर जारी है।

8. **प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 31 द्वारा जवाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश कर** निवेदन किया कि मांगीबाई को वसीयत पत्र के द्वारा पैतृक सम्पति को वसीयत करने का कोई अधिकार नही था। स्वर्गीय मांगीबाई केवल अपनी स्वअर्जित आय से खरीदी हुई चल–अचल सम्पति की वसीयत कर सकती थी। श्रीमती मांगीबाई को पैतृक सम्पति को किसी भी व्यक्ति को वसीयत या अन्य किसी दस्तावेज द्वारा हस्तारण करने का अधिकार नहीं है केवल स्वअर्जित सम्पति को ही वसीयत कर सकती हैं। प्रतिवादी संख्या 23, 24 को स्वर्गीय मांगीबाई की सम्पति में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 31 हरिश श्रीमती मांगीबाई का दत्तक पुत्र हैं। किसी अन्य व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। मांगीबाई ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 31 हरिश को गोद रखा था और श्रीमती मांगीबाई ने अपने जीवनकाल में दिनांक 01.03.2004 को गोद नामा की रजिस्ट्री नायब तहसील सनवाड में प्रतिवादी संख्या 31 के पक्ष में करवा दी थी और हरीश के प्राकृतिक पिता श्री अम्बालाल जी ने मुझ प्रतिवादी संख्या 31 को श्रीमती मांगीबाई के गोद रखा था व श्रीमती मांगीबाई ने मुझे गोद रखना स्वीकार किया व जाति रिति रिवाज के अनुसार श्री चुनिया जी उर्फ चुन्नीलाल जी व मांगीबाई के स्वर्गवास के पश्चात् उनकी पगडी का दस्तुर भी प्रतिवादी संख्या 31 को किया था और प्रतिवादी संख्या 31 स्वर्गीय चुनिया उर्फ चुन्नीलाल जी का दत्तक पुत्र है और स्वर्गीय चुन्नीलाल जी उर्फ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:52 IST
Reason: SelfAttested

चुनिया जी व श्रीमती मांगीबाई का कानूनी वारिस होकर उनकी चल अचल सम्पति का दत्तक पुत्र होने से स्वामी है व श्रीमती मांगीबाई के स्थान पर राजस्व रेकार्ड में खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी हैं। वादी कोई स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं है बल्कि प्रतिवादी संख्या 31 दत्तक पुत्र होने से श्रीमती मांगीबाई का उत्तराधिकारी है और उनके स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

9. **काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि** प्रतिवादी संख्या 31 हरिश दत्तक पिता श्री चुनिया उर्फ चुन्नीलाल जी धोबी निवासी ईण्टाली वाद पत्र में वर्णित आराजीयात का मांगीबाई के स्थान पर उनका दत्तक पुत्र होने से खातेदार काश्तकार होकर काबिज हैं। श्रीमती स्वर्गीय मांगीबाई पत्नी चुनिया उर्फ चुन्नीलाल धोबी ने दिनांक 01.03.2004 को उप रजिस्टार सा. सनवाड के कार्यालय में प्रतिवादी संख्या 31 के पक्ष में रजिस्टर्ड गोदनामा सम्पादित करवा कर साक्षीयों की साक्ष्य दिलवायी और गोदनामा प्रतिवादी संख्या 31 के पक्ष में सम्पादित करवाया और प्रतिवादी संख्या 31 श्रीमती मांगीबाई व चुनिया उर्फ चुन्नीलाल जी का गोदीना पुत्र होकर उनकी चल अचल सम्पति का कानूनन वारिस हैं। इसलिए प्रतिवादी संख्या 31 श्रीमती मांगीबाई के नाम पर दर्ज कृषि भूमि को अपने नाम पर दर्ज करवाने व उसका खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का कानूनन अधिकारी हैं।

10. अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 31 हरिश कुमार का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे। हरिश कुमार को स्वर्गीय मांगीबाई पत्नी स्वर्गीय चुनिया उर्फ चुन्नीलाल जी के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें जो उनके हिस्से का घोषित फरमाया जावे व राजस्व रेकार्ड में श्रीमती मांगीबाई पत्नी स्व. चुनिया उर्फ चुन्नीलाल धोबी के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 31 हरिश दत्तक पिता श्री चुन्नीलाल जी का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित करने की डिक्री प्रतिवादी संख्या 31 के पक्ष में व वादी के विरूद्व जारी फरमाई जावें।

11. **वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 31 के काउन्टर क्लेम का जवाब पेश कर** निवेदन किया कि प्रतिवादी हरिश ने अपने वादोत्तर एवम् प्रतिवाद पत्र में स्वीकार भी किया है तो मांगीबाई के [illegible] दगत भूमि की वसीयत करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:52 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार में नहीं होने का भी कथन किया हैं। वादग्रत भूमि की श्रीमती मांगीबाई एकल स्वामी थी, किसी अन्य का इस भूमि में हित, स्वामित्व अधिकार वसीयत लिखते समय या मरने के समय नहीं था, इसलिए श्रीमती मांगीबाई को वादगत भूमि की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। प्रतिवादी के कथन कि मांगीबाई केवल अपनी कमाई से खरीदी हुई सम्पति का ही वसीयत निष्पादित कर सकती थी और उत्तराधिकार से प्राप्त वादग्रत भूमि का वसीयत करने के योग्य नहीं थी का कोई कानूनी या अन्य आधार नहीं है। श्रीमती मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल के कहने से वादी तारीख 24.02.2004 को गांव वल्लभनगर गया जहां से श्री मनोज कुमार पिटीशन राईटर, स्टाम्प वेण्डर को और पब्लिक नोटेरी एडवोकेट श्री विनोद कुमार ओस्तवाल को गांव ईण्टाली अपनी बहिन श्रीमती मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल के पास ले गया। श्री मनोज कुमार पिटीशन राईटर ने श्रीमती मांगीबाई के कहे अनुसार वसीयत पत्र वादी के पक्ष में लिखा फिर उसे पढ कर मांगीबाई को सुनाया, समझाया, जिसके बाद मांगीबाई ने इस वसीयत पत्र पर अपनी अंगुष्ठ निशानी साक्षीगण के समक्ष अंकित की। फिर साक्षीगण की उस पर साखे भी लगवायी। इसके बाद मांगीबाई के ही कहने से पब्लिक नोटेरी ने इस वसीयत पत्र को अटेस्टेड किया। इस दिन मांगी मन बुद्धि से पूर्णतः स्वस्थ थी यद्यपि उसकी शारीरिक कमजोरी अवश्य थी परन्तु वह अपना दैनिक कार्य जैसे भोजन करना, घर में घुमना, शौच कर लेना, स्नान कर लेना, सो जाना, उठ जाना वगैरा अन्य कार्य कर लेती थी। यह वसीयत पत्र श्रीमती मांगीबाई ने वादी के पक्ष में लिखवाया वह उसका अंतिम एवम वास्तविक वसीयत पत्र है। श्रीमती मांगीबाई ने श्री विनोद कुमार जी ओस्तवाल एडवोकेट से प्रतिवादी संख्या 30 अनिल एवम प्रतिवादी संख्या 10 श्री रमेश को एक नोटिस पत्र दिलवा कर उसके द्वारा अनिल के पक्ष में पूर्व में लिखे वसीयत पत्र को खारिज कराया। यह नोटिस प्रतिवादी अनिल नाबालिग पुत्र की माता श्रीमती मांगीदेवी ने प्राप्त किया था। श्रीमती मांगीदेवी, अनिल और रमेश तीनो एक ही परिवार के हैं।

12. यह कि हरिश प्रतिवादी मांगीबाई का दत्तक पुत्र होने से उसी का मांगीबाई की सम्पति में अधिकार बनता है। निवेदन है कि हरिश को दत्तक रखते हुए श्रीमती मांगीबाई ने हरिश के पक्ष में ऐसा [illegible]न्ध नहीं किया है कि वह अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:52 IST
Reason: SelfAttested

सम्पति अपने जीवनकाल में हस्तान्तरित या वसीयत नहीं कर सकेगी। ऐसी हाल में मांगीबाई दत्तक रखने के बाद भी अपनी सम्पति को किसी को भी अन्तरित करने को या वसीयत करने को स्वतन्त्र थी। जिस अधिकार के अन्तर्गत ही उसने वसीयत पत्र अनिल के पक्ष में लिखा फिर उसे निरस्त किया और अंतिम वसीयत पत्र वादी के पक्ष में निष्पादित किया हैं। प्रतिवादी ने अपने वादोत्तर एवं प्रतिवाद पत्र में श्रीमती मांगीबाई एवं चुन्नीलाल का वह एक मात्र उत्तराधिकारी है ऐसा गलत कथन किया हैं। वादगत भूमि का हरीश मांगीबाई का दत्तक पुत्र होने के बावजूद उत्तराधिकारी नहीं है क्योंकि मांगीबाई ने वसीयत से वादी को वादगत भूमि का स्वामी बना दिया हैं।

13. यह कि प्रतिवादी हरीश ने अपने काउन्टर क्लेम में अपने प्रतिवाद का मूल्यांकन मात्र 100/– रूपये का ही किया है जो काफी कम हैं। वादगत भूमि की बाजारू कीमत 50,000/– से कम नहीं हैं। प्रतिवादी हरीश ने अपने काउन्टर क्लेम में न्यायालय आपके क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का कथन किया है। यहां यह कथन प्रांसगिक है कि हरीश ने प्रतिवाद पत्र ही गलत किया है और वादी की वाद पत्र में कथन के हिसाब से यह वाद सिविल न्यायालय में विचारणीय हैं। प्रतिवादी हरीश ने वादगत भूमि का अपने को खातेदार काश्तकार घोषित कराने की दादरसी की मांग की है जो काबिल मानने के नहीं हैं। हरीश किसी भी प्रकार का खर्चा भी वादी से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी हरीश का काउन्टर क्लेम सव्यय खारिज फरमाया जावे और वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

14. प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 10, 30, 31 द्वारा राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि हम वादीगण/प्रार्थीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य लोक अदालत की भावना से आपस में राजीनामा हो चुका है और अब कोई विवाद शेष नहीं जिससे हम वादीगण/प्रार्थीगण एवं अन्य प्रतिवादीगण सहमत हुए कि प्रतिवादी संख्या 31 श्री हरिश दत्तक पुत्र श्री चुन्नीलाल जी धोबी के पक्ष में हुए गोदनामा को हम पक्षकारान स्वीकार करते है एवं गोदनामा के आधार पर चुन्नीलाल जी की पत्नी मांगीबाई के नाम पर वाद वर्णित आराजीयात को प्रतिवादी हरीश जो कि दत्तक पुत्र है के नाम पर न्यायालय में विचाराधीन वाद डिक्री फरमाया जावे एवं उक्त प्रकरण में राजीनामा के आधार पर फैसल कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:52 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री कर राजीनामा अनुसार डिक्री जारी किये जाने की कृपा करावें। अन्त में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में राजीनामा को तस्दीक किया जाकर राजीनामा की अनुमति प्रदान कर प्रकरण को आज ही राजीनामा के आधार पर फैसल कर डिक्री कर राजीनामा अनुसार डिक्री फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करावें। हम प्रतिवादीगणों को राजीनामा स्वीकार है एवं हर्जे खर्चे का कोई एतराज नहीं हैं।

15. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की राजीनामें पर बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा राजीनामें अनुसार वाद डिक्री किया जाने का निवेदन किया।

16. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। राजीनामें का अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा ईण्टाली पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2060–63 के खाता संख्या 114 पर दर्ज आराजी नम्बर 2629 किता 1 कुल रकबा 16 बिस्वा भूमि में मांगी बेवा चुन्नीलाल के नाम 1/3 हिस्से से दर्ज है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि का विवाद केवल मात्र मांगी बेवा चुन्नीलाल के 1/3 हिस्से तक ही है। यह तथ्य तो निर्विवादीत है कि खातेदार मांगी बेवा चुन्नीलाल का निधन हो चुका है। क्यों कि उक्त तथ्य को उभय पक्षकारान द्वारा स्वीकार किया गया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 30 द्वारा वसीयत के आधार पर भूमि दर्ज करवाना चाहा।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि खातेदार मांगी पत्नी चुन्नीलाल द्वारा अपनी जीवनकाल में रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 01.03.2004 से प्रतिवादी संख्या 31 श्री हरीश दत्तक पुत्र श्री चुन्नीलाल धोबी को गोद रखा। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 30 के पक्ष में निष्पादित दोनो वसीयत अनरजिस्टर्ड है। उक्त दोनो वसीयत अनरजिस्टर्ड होने से इनकी सत्यता के संबंध में विचार किया जाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। रजिस्टर्ड दस्तावेज/गोदनामा प्रतिवादी संख्या 31 के पक्ष में है। रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर प्रतिवादी संख्या 31 खातेदार मांगी पत्नी चुन्नीलाल का पुत्र है। हिन्दु उत्ताराधिकार अधिनियम के तहत किसी खातेदार की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति विरासत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:52 IST
Reason: SelfAttested

से उसके प्रथम श्रेणी के वारिस अर्थात पुत्र व पुत्रियों में निहित होगी। इस प्रकार इस प्रकरण में भी खातेदार मांगी पत्नी चुन्नीलाल के निधन के पश्चात उसके नाम दर्ज हिस्सा भूमि उसका दत्तक पुत्र प्रतिवादी संख्या 31 में निहित हुई।

प्रकरण में खातेदार मांगी पत्नी चुन्नीलाल के हिस्से को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10, 30 द्वारा ही क्लेम किया गया था। उनके द्वारा भी राजीनामा प्रस्तुत कर स्वीकार कर लिया गया है कि खातेदार मांगी पत्नी चुन्नीलाल के हिस्से को उसके दत्तक पुत्र के नाम दर्ज की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है। अन्य किसी पक्षकार द्वारा उक्त भूमि के संबंध में काउण्टर वाद प्रस्तुत नही किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 10, 30, 31 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 10, 30, 31 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा ईण्टाली पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2060—63 के खाता संख्या 114 पर दर्ज आराजी नम्बर 2629 किता 1 कुल रकबा 16 बिस्वा भूमि मांगी बेवा चुन्नीलाल के नाम 1/3 हिस्से से दर्ज है, के बजाय प्रतिवादी संख्या 31 श्री हरीश दत्तक पुत्र चुन्नीलाल धोबी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष खाता बदस्तुर रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:52 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 99/05 (वाद)

GCMS No. : 2005/00002

उनवान्

1. श्री अम्बालाल पिता फकीरचन्द्र धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

1/1 श्री निलेश पिता अम्बालाल धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

1/2 श्रीमती कैलाशी पत्नी प्रभुलाल धोबी निवासी सनवाड तहसील मावली।

1/3 श्रीमती उमाबाई पत्नी मुकेश कुमार धोबी निवासी म.न.ए40 सत्यम हॉस्पीटल के सामने रेल्वे मेडिकल कॉलोनी रेल्वे हॉस्पीटल जोधपुर।

1/4 श्रीमती शान्ताबाई बेवा अम्बालाल धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री कालु पिता प्यारा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
2. श्री बालु पिता नाथु धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
3. श्री लालु पिता नाथु धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
4. श्री मोती पिता नाथु धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
5. श्री शम्भु पिता रोडा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
6. श्री घनश्याम पिता रोडा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
7. श्रीमती मांगीबाई बेवा रोडा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
8. श्रीमती गीता पुत्री रोडा पत्नी राजु धोबी निवासी दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा।
9. श्रीमती भग्गी पत्नी रतन धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
10. श्री रमेश पिता हीरा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
11. श्रीमती बगदी पत्नी भंवरलाल धोबी निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा।
12. श्रीमती बदामी पत्नी हिरा धोबी निवासी मोही तहसील राजसमन्द।
13. श्रीमती गीता पत्नी रमेश धोबी निवासी राजनगर नया बस स्टेण्ड के पास बाडी।
14. श्रीमती अणछी पुत्री हिरा धोबी निवासी सराडा तहसील सराडा।
15. श्रीमती बसन्ती पत्नी माणक धोबी निवासी राणावास तहसील मारवाड जं. पाली।
16. श्री राजेन्द्र पिता मोहनलाल धोबी निवासी सराडा तहसील सराडा।
17. श्री देवेन्द्र पिता मोहनलाल धोबी निवासी सराडा तहसील सराडा।
18. श्रीमती लीला बेवा मोहनलाल धोबी निवासी सराडा तहसील सराडा।
19. श्रीमती सीमा पुत्री मोहनलाल धोबी निवासी राणावास तहसील मारवाड जं. पाली।
20. श्रीमती रीना पत्नी लालु धोबी निवासी [illegible] तहसील मारवाड जं. पाली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:52 IST
Reason: SelfAttested

21. श्री ईश्वरलाल पिता गणपत धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
22. श्रीमती इन्दिरा पत्नी बद्रीलाल धोबी निवासी राजनगर नया बस स्टेण्ड के पास बाडी।
23. श्रीमती वरदी बेवा गणपत धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
24. श्री भेरूलाल पिता मांगीया धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
25. श्रीमती लछमी पत्नी उदयलाल धोबी निवासी बानसेन तहसील भदेसर।
26. श्री रतनलाल पिता हिरा धोबी निवासी हिण्डोली तहसील कपासन।
27. श्रीमती लादू पत्नी कैलाश धोबी निवासी सनवाड तहसील मावली।
28. श्रीमती देऊ पुत्री हिरा धोबी निवासी हिण्डोली तहसील कपासन।
29. श्रीमती लीला पुत्री हिरा धोबी निवासी हिण्डोली तहसील कपासन।
30. श्री अनिल पिता रमेश धोबी बविलायत पिता रमेशचन्द्र पिता हीरा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
31. श्री हरीश दत्तक पिता चुन्नीलाल धोबी निवासी सिक्का बी.सी.सी. सीमेन्ट फैक्ट्री के पास धुलाई की दुकान जिला जामनगर, गुजरात।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :—

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 10, 30, 31 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा ईण्टाली पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2060—63 के खाता संख्या 114 पर दर्ज आराजी नम्बर 2629 किता 1 कुल रकबा 16 बिस्वा भूमि मांगी बेवा चुन्नीलाल के नाम 1/3 हिस्से से दर्ज है, के बजाय प्रतिवादी संख्या 31 श्री हरीश दत्तक पुत्र चुन्नीलाल धोबी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.03.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:52 IST
Reason: SelfAttested